न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या – 201/2020

अनवान : –

1. घड़सीराम 2. कृष्ण कमार 3. मोमनराम 4. रामकुमार पुत्रगण कालुराम जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर।

– वादी

बनाम

1. दुनीराम 2. ओमप्रकाश 3. सुखराम पुत्रगण हरदेवाराम जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर।

4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता प्रतिवादी

निर्णय दिनांक: 30/04/26

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, 88, 188 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 5 बी बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–74 के खाता स० 86/86 की कुल 7.0840 हैक्ट वादी स० 1 ता 4 प्रत्येक के नाम 1/8 हिस्सा भूमि व प्रतिवादी स० 1 ता 3 प्रत्येक के नाम 1/6 हिस्सा भूमि संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि को लेकर वादी व प्रतिवादीगण के बीच सींव लगान का झगड़ा रहता है तथा काश्त सम्बधी झगड़ा बना रहता है वादीगण ने अपने हक हिस्सा की भूमि को समतल व उपजाउ बना रखा है एवं प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के कब्जा की भूमि में दखल देकर प्रतिवादीगण की समतल व उपजाउ भूमि पर काबिज होने की फिराक में है इसलिए वाद भूमि का खाता व लगान वादी अलहदा–अलहदा करवा पाने की अधिकारी है अत मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के मुताबिक खाता व लगान अलग किया जावे। उपरोक्त आशयों की वादी घोषणा करापाने की अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की विवादित भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के मुताबिक खाता एवं लगान तकसीम करवा ले तो कई दिन तक आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

अतः वाद वादी घोषणा की जावें की रोही मौजा 5 बी बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–74 के खाता स० 86/86 की कुल 7.0840 हैक्ट वादी स० 1 ता 4 प्रत्येक के नाम 1/8 हिस्सा भूमि व प्रतिवादी स० 1 ता 3 प्रत्येक के नाम 1/6 हिस्सा भूमि संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है, का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के अनुसार खाता व लगान अलग किया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर [illegible] कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी स० 1 ता [illegible] इस आशय का पेश किया की वाद भूमि संयुक्त खाता में दर्ज है इसलिए प्रतिवादीगण का भी प्रत्येक इंच [illegible]जा काश्त है उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.08 11:04:29 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

भूमि बाबत कभी भी बंटवारा नही हुआ है एवं वादीगण द्वारा भी बंटवारा बाबत कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है। वादीगण द्वारा समस्त नहरी भूमि को अपने नाम दर्ज करवाने हेतु यह वाद पेश किया गया है। जबकि सयुक्त खाता की भूमि पर सभी खातेदारों का अधिकार होता है इसलिए उक्त वाद भूमि का अच्छी व मंदी भूमि के मुताबिक खाता व लगान अलग किया जावे।

अधिवक्ता वादी व प्रतिवादी ने निवेदन किया की साक्ष्य नही करवाना चाहते है। बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवदेन किया की वाद भूमि को लेकर वादी व प्रतिवादीगण के बीच सींव लगान का झगड़ा रहता है तथा काश्त सम्बधी झगड़ा बना रहता है वादीगण ने अपने हक हिस्सा की भूमि को समतल व उपजाउ बना रखा है एवं प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के कब्जा की भूमि में दखल देकर प्रतिवादीगण की समतल व उपजाउ भूमि पर काबिज होने की फिराक में है इसलिए वाद भूमि का खाता व लगान वादी अलहदा–अलहदा करवा पाने की अधिकारी है अत मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के मुताबिक खाता व लगान अलग किया जावे।

अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने बहस में निवेदन किया की वाद भूमि संयुक्त खाता में दर्ज है इसलिए प्रतिवादीगण का भी प्रत्येक इंच पर कब्जा काश्त है उक्त भूमि बाबत कभी भी बंटवारा नही हुआ है एवं वादीगण द्वारा भी बंटवारा बाबत कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है। वादीगण द्वारा समस्त नहरी भूमि को अपने नाम दर्ज करवाने हेतु यह वाद पेश किया गया है। जबकि सयुक्त खाता की भूमि पर सभी खातेदारों का अधिकार होता है इसलिए उक्त वाद भूमि का अच्छी व मंदी भूमि के मुताबिक खाता व लगान अलग किया जावे एवं वादी द्वारा साक्ष्य भी नही करवाये गये है वादी अपना कब्जा काश्त साबित नही कर पाया है इसलिए वाद वादी खारिज किया जावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 5 बी बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–74 के खाता स0 86/86 की कुल 7.0840 हैक्ट वादी स0 1 ता 4 प्रत्येक के नाम 1/8 हिस्सा भूमि व प्रतिवादी स0 1 ता 3 प्रत्येक के नाम 1/6 हिस्सा भूमि संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में वादी ने अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि का अन्य सहकाश्तकारान से खाता व लगान अलग कायम करवाने हेतु वाद पेश किया है। प्रतिवादी द्वारा माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर के प्रकरण स0 11/2020 की चित्रप्रति के मुताबिक उक्त वाद भूमि बाबत माननीय न्यायालय में अपील जैरकार है जो की इस प्रकरण से पहले दर्ज हुई है एवं जब तक अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर में अपील जैरकार है तब तक वादी इस न्यायालय से अनुतोष पाने का अधिकारी नही है। अत वाद वादीगण संधारण योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 30/04/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.08 11:04:29 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 201 / 2020

अनवान : –

1. घड़सीराम 2. कृष्ण कमार 3. मोमनराम 4. रामकुमार पुत्रगण कालुराम जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर।

– वादी

बनाम

1. दुनीराम 2. ओमप्रकाश 3. सुखराम पुत्रगण हरदेवाराम जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 201 सन 2020 निर्णय दिनांक 30/04/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी काबिल प्राथमिक डिक्री होने के कारण वाद वादी साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

यह डिक्री आज दिनांक ....30/04/26.... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul.

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.08 11:04:29 IST
Reason: SelfAttested